

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0/विद्युत बोर्ड-01/2015-615
सेवा में,

पटना, दिनांक- 05-03-19

महालेखाकार (लेखा एवं हक),

बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

बाह्य सम्पोषित परियोजना के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, वर्तमान में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं0 लि0 के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रुपये) की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को ए0डी0बी0 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वैधानिक कटौतियों एवं परामर्शी के फीस आदि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध कराए गए रू0 26,64,93,000/- (छब्बीस करोड़ चौसठ लाख तिरानवे हजार) रुपये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 26,64,93,000/- (छब्बीस करोड़ चौसठ लाख तिरानवे हजार) रुपये बिहार सरकार के खाते में जमा की गई है। यह राशि बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सम्पोषित योजना के सभी पैकेजों के कार्यान्वयन हेतु वैधानिक कटौतियों एवं परामर्शी के फीस आदि के मद में किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध करायी गयी है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

Executing /Implementing Agency	Loan/Grant Number	WA Number	Voucher No.	Amount in Rs.	Given Amount in Rs.
BSPHCL	Loan-2681-IND	WA 106	2018001976	7,45,55,278.00	1,33,94,747.00
		WA 107	2018002977	2,92,28,371.00	2,92,28,371.00
		WA 108	2018002979	8,04,00,590.00	8,04,00,590.00
		WA 109	2018002980	14,34,69,292.00	14,34,69,292.00
		Total			32,76,53,531.00

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बाह्य सम्पोषित परियोजना के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रुपये) की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को ए0डी0बी0 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वैधानिक कटौतियों एवं परामर्शी के आदि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध कराए गए 26,64,93,000/- (छब्बीस करोड़ चौसठ लाख तिरानवे हजार) रुपये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है:-

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगा।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
 (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगा।

(ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

4. मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष-0508-बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की संचरण तथा परियोजना (बाह्य सम्पोषित योजना)-राज्य योजना, विपत्र कोड-10-6801001900508 विषय शीर्ष-5501 ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।


5. राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-प्र०/विद्युत बोर्ड-01/2015 के टि०पू०-71 दिनांक- 01.03.2019 को प्राप्त है।


बिहार राज्यमाल के आदेश से,


(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक:-प्र०/विद्युत बोर्ड-01/2015-615

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०/विद्युत बोर्ड-01/2015-615

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना (तीन प्रतियों में)/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या-प्र0/विद्युत बोर्ड-01/2015

पटना, दिनांक:-

ऊर्जा विभाग के राज्यादेश संख्या- 615 दिनांक- 05.03.2019 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में यथास्थान अंकित राशि 26,64,93,000.00 (छब्बीस करोड़ चौसठ लाख तिरानवे हजार) के स्थान पर 26,64,92,822.00 (छब्बीस करोड़ चौसठ लाख बानवे हजार आठ सौ बाईस) एवं कंडिका-1 में Given Amount in Rs. 1,33,94,747.00 के स्थान पर 1,33,94,569.00 पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-प्र0/विद्युत बोर्ड-01/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-प्र0/विद्युत बोर्ड-01/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक- 13-03-19

ज्ञापांक- प्र0/विद्युत बोर्ड-01/2015 703

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

69